

प्रेस नोट दिनांक-24.09.2019

(1). प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक श्री सुजीत पाण्डेय एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र श्री दीपक कुमार के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री मनोज कुमार झा द्वारा जनपद की एण्टी डकैती टीम एवं चित्रकूट धाम परिक्षेत्र की एण्टी डकैती टीम को IS-262 बबुली गैंग के फरार सदस्यों की गिरफ्तारी में लगाया गया था। इन्हीं प्रयासों के दौरान कल दिनांक-23.09.2019 को बबुली कोल गैंग के फरार सदस्य एक लाख रुपये इनामी डकैत संजय कोल पुत्र राजा निवासी टिकरिया थाना मारकुण्डी को पुलिस मुठभेड़ में गुरसराय के जंगल से गिरफ्तार करने में जनपदीय पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

अवगत कराना है कि IS-262 गैंग के लीडर बबुली कोल एवं लवलेश कोल के मारे जाने के बाद उसके गैंग के चार सदस्य गैंग के असलहे लेकर फरार हो गये थे, फरार सदस्यों में सोहन कोल को दिनांक-19.09.2019 को गिरफ्तार किया जा चुका है, इस गैंग के अन्य फरार सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए जनपद की एण्टी डकैती टीम एवं चित्रकूट धाम परिक्षेत्र की एण्टी डकैती टीम लगातार प्रयास कर रही थी। कल दिनांक-23.09.2019 को एण्टी डकैती टीम को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि डकैत संजय कोल थाना मारकुण्डी क्षेत्र अन्तर्गत गुरसराय के जंगल में है उक्त सूचना पर जनपद की एण्टी डकैती टीम एवं चित्रकूट धाम परिक्षेत्र की एण्टी डकैती टीम डकैत संजय को जंगल में खोजने लग गए कि एक व्यक्ति जंगल में दिखायी दिया पुलिस टीम द्वारा चैलेंज करने पर इस व्यक्ति ने फायर करना शुरू कर दिया पुलिस ने अपनी जबाबी फायरिंग की एवं इस व्यक्ति को हिम्मत एवं साहस दिखाते हुये घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पार्टी द्वारा डकैत को घेरकर गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम संजय कोल पुत्र राजा निवासी टिकरिया थाना मारकुण्डी बताया, जिसके पास से 01 अदद डीबीबीएल बंदूक फैक्ट्री मेड 12 बोर, 05 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, 09 अदद खोखा कारतूस 12 बोर, 11200/- रुपये फिरौती में मिला हिस्सा बरामद किया गया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद डीबीबीएल बंदूक फैक्ट्री मेड 12 बोर
2. 05 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
3. 09 अदद खोखा कारतूस 12 बोर
4. 11200/- रुपये फिरौती में मिला हिस्सा

उपरोक्त बरामदगी व मुठभेड़ के सम्बन्ध थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 37/19 धारा 307 भादवि0 व 12/14 डीएए एक्ट एवं मु0अ0सं0 38/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त संजय कोल का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 32/19 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि0 व 12 /14 डीएए एक्ट थाना मारकुण्डी
2. मु0अ0सं0 121/19 धारा 364ए/342/506 भादवि0 थाना मानिकपुर
3. मु0अ0सं0 148/19 धारा 395/397 भादवि0 व 25/27 आर्म्स एक्ट व 11/13 डीएए एक्ट थाना नयागांव सतना म0प्र0
4. मु0अ0सं0 94/19 धारा 364ए भादवि0 25/27 आर्म्स एक्ट व 11/13 डीएए एक्ट थाना धारकुण्डी सतना म0प्र0
5. मु0अ0सं0 98/19 धारा 307 भादवि0 व 25/27 आर्म्स एक्ट व 11/13 डीएए एक्ट थाना धारकुण्डी सतना म0प्र0
6. मु0अ0सं0 37/19 धारा 307 भादवि0 व 12/14 डीएए एक्ट थाना मारकुण्डी
7. मु0अ0सं0 38/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना मारकुण्डी

उपरोक्त गिरफ्तारी से स्पष्ट है कि अब इस गैंग का एक मात्र सदस्य छोटा भइया शेष है जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. निरीक्षक श्री केशव प्रसाद दुबे प्रभारी एण्टी डकैती टीम चित्रकूट
2. उ0नि0 श्री शिवप्रसाद प्रभारी एण्टी डकैती टीम चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा
3. उ0नि0 श्री संदीप पटेल एण्टी डकैती टीम चित्रकूट
4. उ0नि0 श्री रोहित तिवारी एण्टी डकैती टीम चित्रकूट
5. मुख्य आरक्षी रहीश खान एण्टी डकैती टीम चित्रकूट
6. आरक्षी प्रदीप दुबे एण्टी डकैती टीम चित्रकूट
7. आरक्षी बृजकिशोर एण्टी डकैती टीम चित्रकूट
8. आरक्षी लाखन एण्टी डकैती टीम चित्रकूट
9. आरक्षी आशीष एण्टी डकैती टीम चित्रकूट
10. आरक्षी राहुल एण्टी डकैती टीम चित्रकूट
11. आरक्षी अनिल कुमार पाल एण्टी डकैती टीम चित्रकूट
12. मुख्य आरक्षी रामबाबू यादव एण्टी डकैती टीम चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा
13. आरक्षी शिवानन्द शुक्ला एण्टी डकैती टीम चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा
14. आरक्षी जीतेन्द्र कुमार सर्विलाईस सेल

(2). आज दिनांक-24.09.2019 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री बलवन्त चौधरी की उपस्थिति में जनपद के समस्त थानों के एण्टी रोमियो टीमों के प्रभारियों के साथ पुलिस कार्यालय में गोष्ठी आयोजित की गयी। महोदय द्वारा बताया गया कि यह अभियान माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 के महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है इस अभियान से जुड़े सभी सदस्य इसे सिर्फ अपनी डियूटी न माने इस अभियान में समाज सेवा के रूप में कार्य करें जिससे महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा का एहसास हो और समाज में पुलिस के प्रति लोगों की विश्वासनीयता बढ़े। गोष्ठी में महोदय ने समस्त टीम प्रभारियों को एण्टी रोमियो के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये –

- (1). चेकिंग के दौरान किस प्रकार के प्रकरण प्रकाश में आते हैं उनके सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी ली गयी।
- (2). विद्यालयों/महाविद्यालयों में पुलिस शिकायत पेटिका लगवायी गयी है जिसको महिला आरक्षी की मदद से प्रत्येक सप्ताह खोलने हेतु निर्देशित किया गया।
- (3). सार्वजनिक स्थानों पर जैसे बाजार,चौराहे,मन्दिर, कोचिंग सेंटर्स इत्यादि पर सादे कपड़ों में चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया।
- (4). चेकिंग रूट प्रतिदिन एक जैसा न रखें।
- (5). बालिका विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य से लगातार वार्ता करते रहे जिससे किसी भी प्रकार की समस्या के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके।
- (6). बालिकाओं/छात्राओं को महिला हेल्पलाइन तथा महिला सम्बन्धी पुलिस एप्लीकेशन के सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरूक करते हुए यू0पी0 100 के व्हाट्स-अप नम्बर 7570000100 तथा SMS नं0 7273000167 के सम्बन्ध में जानकारी दें।
- (7). शहरों से बाहर दूर पड़ने वाले विद्यालयों के रास्ते में आकस्मिक चेकिंग करें।

- (8). महिलाओं/बालिकाओं के विरूद्ध छेड़खानी वाले स्थानों को चिन्हित करके सम्बन्धित थाना प्रभारी एवं सभी उपनिरीक्षकों को अवगत कराये।
- (9). महिलाओं तथा बालिकाओं के उत्पीड़न की सूचना पर संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पर तुरन्त संज्ञान ले तथा महिला सम्बन्धी अपराधों का समयबद्ध निस्तारण कराये।
- (10). ई-रिक्शा चालकों का सत्यापन कराये।
- (11). ऐसे अपराधी जो बार-बार महिला सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त हो उन्हें चिन्हित कर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
- (12). जो महिलाएं/बालिकाएं शिकायत लेकर आती है उनकी शिकायत को शालीनता से सुने एवं उनकी शिकायत का संज्ञान लेकर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करे।
- (13). जो लड़का बार-बार गलती करता हो उसके परिजनों को बुलाकर उसे एहसास दिलाएं कि उसने यह कार्य गलत किया है एवं जो बार-बार समझाने पर भी न माने उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करे।
- (14). शाम के वक्त अंधेरे में लड़कियां/महिलाएं जिस रास्तों से गुजरती है ऐसे स्थानों को चिन्हित कर इन स्थानों के प्रति संवेदनशील रहे।
- (15). ऐसे जोड़े जो वयस्क हैं उनसे अभद्रता न करे।
- (16). सभी टीम प्रभारियों से चेकिंग के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अरूण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 89/14 धारा 323/504/506 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त साहबलाल पुत्र तप्सी उर्फ लालता प्रसाद निवासी टिकरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. श्री अरूण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ
2. उ0नि0 श्री राधेश्याम
3. आरक्षी विवेक कुमार

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में गुमशुदा/अपहता की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा निर्मोही अखाड़ा के पास से परिक्रमा के दौरान अपने परिजनों से बिछड़ी बालिका किरन पुत्र मुनिम निवासी बहराण थाना असोथर जनपद फतेहपुर को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर
2. आरक्षी धीरेन्द्र कुमार
3. महिला आरक्षी रागिनी